

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/12/2018 रजि0 नम्बर 2018/00020 प्रवेश तिथि 06.03.2018 निर्णय दिनांक 16.11.2021

01-जुम्मल पुत्र घीसा मेव निवासी ग्राम खुशपुरी तहसील रामगढ़।

-अपीलांट

बनाम

01- राज0सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर।

-रैस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़ दिनांक 25.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 284/2017

उपस्थित:-

01-श्री जनार्दन शर्मा  
02-श्री दीपक मीणा

-वकील अपीलाण्ट.  
-वकील रेस्पोडेन्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 25.09.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम खुशपुरी सरकारी भूमि गैर मुमकिन मरघट के आ.ख.नं. 288 रकबा 0.73 है0 में से 0.7 है0 पर कब्जा कर फसल सरसो बासनी आदि बोककर अतिक्रमण कर लिये जाने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किये जाने तथा दण्ड स्वरूप लगान का 50 गुना पेनल्टी/- तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के द्वारा खसरा नम्बर ग्राम खुशपुरी सरकारी भूमि गैर मुमकिन मरघट के आ.ख.नं. 288 रकबा 0.73 है0 में से 0.7 है0 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही आज है। अपीलांट का वर्तमान में विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.09.2017 अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की गैर मौजूदगी में बिना अपीलांट को सुने आदेश पारित किया है उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कभी भी आराजी मुतनाजा से भौतिक रूप से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0) 294

वेदखल नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण छोड़ने वावत कोई शपथ पत्र पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। वकील अपीलान्ट की बहस एवं पत्रावली के अध्ययन करने पर प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस शर्त पर अपारत किया जाना उचित समझते हैं कि तहसीलदार रामगढ़ अतिक्रमी द्वारा किये गये अतिक्रमण की पुनः जांच करे यदि अतिक्रमी का प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण पाया जाता है तो पूर्व आदेश दिनांक 25.9.2017 यथावत रहेगा। यदि अतिक्रमी का प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो 03 माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को अपारत किया जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 25.9.2017 में 03 माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमी का अतिक्रमण नहीं पाये जाने की स्थिति में अपारत किया जाता है। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 25.9.2017 यथावत रहेगा।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे। वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राकेश कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
(प्रथम) अलवर